

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आ.प्र.क्रमांक-914 / 2012

संस्थित दिनांक-16.11.12

फाईलिंग क.234503001252012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

गुमानसिंह पिता मोहनसिंह सैय्याम, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सिंघबाघ, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-30/06/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-12.11.12 को सुबह 11:00 बजे ग्राम सिंघबाग अंतर्गत थाना बैहर में फरियादी अंजूबाई को अश्लील शब्द "साली मादरचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी अंजूबाई को नाखून से गले में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी अंजूबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंजूबाई ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक-12.11.12 को 11:00 बजे दिन में फरियादी अपने घर के सामने थी, तभी उसके गांव का कुमानसिंह आया था। फरियादी से बोला था साली मादरचोद दूसरा पति बना ली है कहकर फरियादी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर लामा-झूमी कर फरियादी का गला पकड़कर जमीन पर गिरा दिया था। लामा-झूमी कर नाखून से फरियादी के गले को खरोंच दिया था फरियादी की दाहिने हाथ की कोहनी छिल गई थी। अभियुक्त ने जाते-जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना को मनीषा यादव व बहरीबाई ने देखा व सुना था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-163/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4— अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-12.11.12 को सुबह 11:00 बजे ग्राम सिंघबाघ अंतर्गत थाना बैहर में फरियादी अंजूबाई को अश्लील शब्द "साली मादरचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अंजूबाई को नाखून से गले में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी अंजूबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— अंजूबाई अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना न्यायालयीन कथनों से पिछले वर्ष की दीपावली के समय की लगभग नौ-दस बजे दिन की फरियादी के घर की है। घटना दिनांक को अभियुक्त गुमानसिंह आया था एवं नवलसिंह की पुत्री जो फरियादी के पास साड़ी पकड़कर खड़ी थी। अभियुक्त उसे पकड़कर खींचने लगा था जिससे वह गिर गयी थी। इस कारण उसे कोहनी पर चोट आयी थी। फरियादी ने उठकर गुस्से में घर आकर फिर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बैहर में रिपोर्ट की थी जो प्र.पी.01 है जिसके अ से अ भाग पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस को साक्षी ने घटनास्थल बता दिया था।

पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। साक्षी का ईलाज अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.03 के अ से अ भाग के कथन दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ किसी प्रकार की कोई झूमा झपटी नहीं की थी। नवलसिंह की पुत्री ने फरियादी की साड़ी पकड़ी थी एवं उसी ने साड़ी खींच दी थी जिससे फरियादी गिर गयी थी एवं उसी कारण फरियादी को चोट आयी थी। फरियादी ने स्वीकार किया है कि उसने लोगों के कहने पर रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। जैसा लोगों ने बोला था वैसी रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। साक्षी ने प्र. पी.02 के मौकानक्शा पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी को पुलिसवालों ने उसका बयान पढ़कर नहीं बताया था। साक्षी ने प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी की साक्ष्य में घटना के संबंध में विरोधाभास है।

8— मनीष अ.सा.4 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि साक्षी अभियुक्त को जानती है। साक्षी से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी घटना के बारे में कुछ नहीं जानती।

9— बेहरी उर्फ जनियाबाई अ.सा.07 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर गालियां नहीं दी थी।

10— सोमतीबाई अ.सा.02 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथनों से दो वर्ष पूर्व की है। अभियुक्त गुमानसिंह उक्त साक्षी का भतीजा है एवं आहत अंजूबाई का पति है। आहत अंजूबाई इस साक्षी की पुत्री है। इस साक्षी को उसकी पुत्री ने घर पर आकर बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ लड़ाई कर उसे जमीन पर पटक दिया था। जिससे उसे गले में चोट आयी थी। इस कारण साक्षी अंजूबाई के साथ रिपोर्ट करने थाना बैहर गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी। उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अंजूबाई एवं अभियुक्त के बीच किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई थी।

11— साक्षी एन.एस.कुमरे अ.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 12.11.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बैहर से सैनिक मोहन क्रमांक 171 आहत श्रीमति अंजूबाई को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत को मेडिकल परीक्षण में निम्न उपहतियां पायी थी— चोट (क्र.01) एब्रेजन, खरौंच जो दो जगह पर थीं। जिनकी लम्बाई, चौड़ाई 3/4 गुणा 1/4 कर्ब आकार में थी जो लालीमा लिये एक दूसरे के समानांतर गले के बायें तरफ थीं। चोट (क्र.02) एक खरौंच जो 01 गुणा 1/2 लिये तिरछापन लिये जिसके किनारे अनियमित थे, लालीमा थी जिसकी चमड़ी निकल गयी थी। जिस पर साक्षी ने सूखा हुआ रक्त पाया था। चोट बायीं कोहनी के जोड़ के पीछे की ओर थी। चिकित्सक के अभिमत में आहत को चोट क्रमांक 01 मनुष्य के नाखून से आ सकती थी एवं चोट क्र.02 कड़े व खुरदुरी सतह से आ सकती थी। आहत की उक्त चोटों परीक्षण के समय छः घण्टे की होकर साधारण प्रकृति की थीं। चिकित्सक द्वारा दी गयी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि आहत की चोट क्रमांक 01 स्वयं नाखून से कारित की जा सकती थीं। चिकित्सक ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि चोट क्र.02 कड़ी व खुरदुरी सतह से टकराने से आ सकती थी।

12— रामभजन साहू अ.सा.05 का कथन है कि दिनांक 12.11.2011 को वह थाना बैहर में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को श्रीमती अंजूबाई ने थाना बैहर में उपस्थित होकर अपराध क्रमांक 153/12 की मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध लेखबद्ध करायी थी जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने फरियादी अंजूबाई की चोटों का मुलाहिजा फार्म भरकर फरियादी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है।

13— कपूरचंद बिसेन प्रधान आरक्षक अ.सा.06 का कहना है कि दिनांक 12.11.2012 को उन्हें आपराध क्र. 163/12 की केस डायरी विवेचना के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने फरियादी अंजूबाई की निशांदाही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं, व ए से ए भाग पर फरियादिया के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी ने फरियादी अंजूबाई साक्षी सोमतीबाई, मनीषाबाई, कु. बहरीबाई का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 13.11.2012 को अभियुक्त को

बहरी उर्फ जनियाबाई, कु.मनीषाबाई के समक्ष गिरफ्तार कर प्र.पी.06 गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्ष्या के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौकानक्शा थाने में बैठकर बनाया गया था।

14— साक्षी अंजूबाई अ.सा.01 प्रकरण की फरियादी है। अंजूबाई ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ किसी प्रकार की झूमा-झटकी नहीं की थी। नवलसिंह की पुत्री ने साक्षी की साड़ी पकड़ ली थी उससे साक्षी गिर गयी थी इस कारण इस साक्षी को चोट आयी थी। इस साक्षी ने लोगों के कहने पर रिपोर्ट लिखायी थीं। प्र.पी.01 की रिपोर्ट और प्र.पी.02 के मौकानक्शा पर साक्षी ने पुलिसवालों के कहने पर कर दिये थे। साक्षी ने प्र.पी.01 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे तब वह कोरी थी। साक्षी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त ने साक्षी को अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। अंजूबाई ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अंजूबाई ने उसकी साक्ष्य में उसकी उपहतियों का भी समर्थन नहीं किया है। अंजूबाई अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में उसे अभियुक्त द्वारा उपहति कारित करने के बारे में नहीं बताया है। इस कारण चिकित्सक एन.एस.कुमरे अ.सा.03 की साक्ष्य से फरियादी अंजूबाई की उपहतियों का समर्थन नहीं होता है। अंजूबाई एवं प्रकरण के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष अंजूबाई अ.सा.01, सोमतीबाई अ.सा.02, मनीषाबाई अ.सा.04 बोहरी उर्फ जनियाबाई अ.सा.07 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को नाखुन से गले में चोट पहुंचाकर एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट